दिल्ली विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF DELHI
स्थापना शाखा–II (I)
ESTABLISHMENT BRANCH-II (I)
कमरा न. २०3
ROOM No. 203
प्रशासनिक खण्ड
ADMINISTRATIVE BLOCK
दिल्ली – ११० ००७
DELHI - 110 007
Tel. No. 27667725 Extn. 1168

Ref. No. Estab.II(i)/27/ACC/2006

Delhi, the 28th June, 2014

# NOTIFICATION

Reference University Notification of even number dated 9th January, 2014 notifying the provision of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), and the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules 2013 and accordingly replacing Ordinance XV-D of the Ordinances of the University with the provisions of the above Act and Rules.

2. To discharge the responsibility to prevent Sexual Harassment in the workplace and provide the employees with a safe and harmonious work environment, it is incumbent upon the respective Deans/ Directors/ Heads of Departments/ PICs/ Officers In-charge of Branch/ Halls and Principal of Colleges to take steps to ensure a safe working environment at the workplace. In order to implement the Act and Rules to promote gender sensitive safe spaces and remove underlying factors that contribute towards a hostile work environment against women, the following is to be ensured:

a) All the Deans/ Directors/ Heads of the Departments/ PICs/ Officer in-charge of Branch/ Halls and Principals of Colleges shall display the order of the University/College constituting the Internal Complaint Committee (declaring the names and contact details of the members) at conspicuous places in their respective workplace. They will also display the penal consequences of sexual harassment. They must also take necessary measure to gender sensitize, create safe spaces & take steps to ensure a safe environment for staff & students. They will also furnish a report each year (by 31st March) of measures taken and any other measures they have taken to sensitize.

b) The University shall organize orientation programmes, seminars and skill & capacity building programmes for the members of its Internal Committee. The colleges shall also organize such programmes for their Internal Committees.

c) The University shall organize workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitizing the employees to the zero tolerance policy on sexual harassment issues. The colleges shall also organize workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitizing the employees for zero tolerance on sexual harassment issues.

d) CPDHE in coordination with WSDC has been entrusted to conduct orientation programmes, seminars, workshop etc. for the employees and members of ICC.

REGISTRAR

1736
4-7-14

# दिल्ली विश्वविद्यालय

संदर्भ सं. स्था.II(i)/27/एसीसी/2006 दिल्ली, 28th जून, 2014

## अधिसूचना

विश्वविद्यालय के दिनांकित 9 जनवरी, 2014 की समसंख्यक अधिसूचना में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14), और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम, 2013 के प्रावधान अधिसूचित किए गए और तदनुसार विश्वविद्यालय अध्यादेश के अध्यादेश XV-D के स्थान पर उपर्युक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधान रखे गए हैं।

2. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और कर्मचारियों को सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण कार्य के माहौल को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/पीआईसी/शाखा/हॉल्स के प्रभारी अधिकारी और महाविद्यालयों के प्राचार्य कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य के माहौल को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन करने के लिए लैंगिक संवेदनशील सुरक्षित स्थान(स्पेसेस) को बढ़ावा दें और उन अंतर्निहित कारकों को निकाल फेंके जिनसे महिलाओं के प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य का माहौल बनता है,निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाए:

क) सभी अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/पीआईसी/शाखा/हॉल्स के प्रभारी अधिकारी और महाविद्यालयों के प्राचार्य अपने से संबंधित कार्यस्थल में विशिष्ट स्थानों पर आंतरिक शिकायत समिति (सदस्यों के नाम एवं संपर्क नं प्रदर्शित करते हुए) के गठन संबंधी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के आदेश को प्रदर्शित करेंगे। उन्हें यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणाम भी प्रदर्शित करने होंगे। उन्हें लैंगिक को जागरूक बनाने, सुरक्षित स्थान का निर्माण करने और कर्मचारियों और विद्यार्थियों हेतु सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्हें प्रत्येक वर्ष (31 मार्च तक) किए गए उपायों और जागरूक बनाने के लिए किए गए अन्य उपायों को भी रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।

ख) विश्वविद्यालय अपनी आंतरिक समिति के सदस्यों हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम, सेमिनारों और कौशल और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। महाविद्यालय भी आंतरिक समिति हेतु ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।

ग) विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर शून्य सहनशीलता की नीति के लिए कर्मचारियों को सुग्राही बनाने हेतु नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। महाविद्यालय भी यौन उत्पीड़न पर शून्य सहनशीलता की नीति के लिए कर्मचारियों को सुग्राही बनाने हेतु नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।

घ) डब्ल्यु.एस.डी.सी के समन्वय के साथ में सी.पी.डी.एच.ई को कर्मचारियों और आई.सी.सी के सदस्यों हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला इत्यादिका आयोजन करने का कार्य सौंपा गया है।

अलका शर्मा

**कुलसचिव**

**नोट:"अनुदित सामग्री मूलरूप में अंग्रेजी में लिखित सामग्री का हिंदी अनुवाद है। इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित सामग्री मान्य होगी।**